

तारीख हकम	
25-3-21	पत्रावली पेश हुई। प्रिन्सिपल अफिसर राजस्व रिपोर्ट हेतु दिनांक 30-3-21 को पेश हो।
30-3-21	उपखण्ड अधिकारी, पिडावा पत्रावली पेश हुई। वाइस-चान्सेलर को रिपोर्ट भेजा है। ग्राम विकास अधिकारी-पत्रावली व पत्रावली हस्ताक्षर के साथ रिपोर्ट असासत हाथ में उपस्थित होने हेतु गृहपर जारी है। प्रिन्सिपल अफिसर रिपोर्ट हेतु दिनांक 12-4-21 को पेश हो।
12-4-21	उपखण्ड अधिकारी, पिडावा पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिक्केन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 20-4-21 को पेश हो।
20-4-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिक्केन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 13-5-21 को पेश हो।
13-5-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिक्केन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 20-6-21 को पेश हो।
29-6-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिक्केन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 14-7-21 को पेश हो।
14-7-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिक्केन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 11-8-21 को पेश हो।
11-8-21	पत्रावली राजस्व शिबिर-पत्रावली में पेश हुई। रेस्पोंडेंट की अंतर्गत प्रीप क्लर एडव के वकालतनामा व रेस्पोंडेंट की एक प्रतिय कार्यवाही दिनांक 9-3-21 को हो चुकी है। पत्रावली राजस्व शिबिर में पेश होने पर एवं रेस्पोंडेंट के विवेक कर्तव्य पर न्यायार्थ में रेस्पोंडेंट का पत्रावली अर्पण किया गया। उप खण्ड अधिकारी पिडावा जिला मुन्सुनू (राज.)

प्रशासन गांवों के  
अभियान-2021



रीख  
कम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
प्रशासन गांवों के संग

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए ।

अभियान-2021

एव रेस्पोंडेंट को सुना गया ताकि उपरि-घात व निर्णय पारित हो सकें। वकील अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट की बराबरी सुनी गई। अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम-चताना की सरपंच प्र. कृष्ण भूषि खसरा नं० 1528/436 रकबा 2-24 हे से 1.42 हे भूमि पारिसे रजिस्टर्ड विषय पर उक्त भूमि के खातेदार से दिनांक 15-10-2018 को कथकर उक्त कयरादा भूमि पर कब्जा प्राप्त किया तथा आज भी अपीलान्ट द्वारा कयरादा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व अधिकार है यह भी अपीलान्ट ने उक्त भूमि पारिसे रजिस्टर्ड विषय पर उक्त कथन के बाद उक्त कयरादा भूमि का नामान्तरकरण शान्ति रिक्वाई में अपने नाम दर्ज करके के लिए उक्त विषय पर भी प्रारि इल्का पटवारी को भी रिजि पर इल्का पटवारी ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम भ्रकर उक्त नामान्तरकरण तस्वीक करके के लिये सरपंच ग्राम पंचायत-चताना के समक्ष पेश किया जो नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत-चताना ने ग्राम ग्राम पंचायत-चताना की बैठक दिनांक 21-1-2019 के में रखकर पुस्तक सं० 6 के पारिसे अपीलान्ट के नाम भरा गया उक्त नामान्तरकरण सं० 1620 दिनांक 22-11-18 के द्वारा यह माफ़र स्वारीज कर लिया कि अपीलान्ट का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ग्राम पंचायत-चताना द्वारा अपीलान्ट का नामान्तरकरण सं० 1620 दिनांक 22-11-18 स्वारीज करते से व्यथित होने के कारण अपीलान्ट की यह अपील निर्गलिखित अपघात पर पेश की है अतः अपील अपीलान्ट मय सत्यप्रतिनिधि नामान्तरकरण सं० 1620 दिनांक 22-11-18 पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट वकील की माफ़र रेस्पोंडेंट का आदेश दिनांक 21-1-2019 ताबत स्वारीज करते नामान्तरकरण सं० 1620 निरस्त कर अपीलान्ट द्वारा कयरादा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज करके का आदेश उद्घाटन करे। रेस्पोंडेंट ने भी अपने पक्ष पर अपील में यह स्वीकार किया है कि ग्राम-चताना की तादगत भूमि ख० नं० 1528/436 रकबा 2-24 हे से 1.42 हे भूमि पारिसे रजिस्टर्ड विषय पर उक्त भूमि के खातेदार से अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन व कयरादा भूमि पर कब्जा प्राप्त करना आज भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होना स्वीकार है।

उप खण्ड अधिकारी  
चिड़ावा जिला अदालत (राज)

तारीख हकम	हुसम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021	नाम अहवाल हुसम नं. जज
--------------	---	--------------------------------

रेसपोन्ड के घर भी हकीकात किया है कि अपील  
 अपीलान्ट हकीकात का नामान्तरकरण सं 1620  
 दिनांक 22-11-2018 के विरत का अपीलान्ट के  
 नाम नामान्तरकरण की करते की क्या को अपील  
 अपीलान्ट के वर्णित तथ्यों व जागत अपील रेसपोन्ड  
 में वर्णित तथ्यों से स्पष्टित होता है कि वादग्रस्त भूमि  
 सं 1528/436 रकबा 2.24 हे. में से 1.42 हे.  
 अपीलान्ट के पारिसे रजिस्टर्ड बिक्रय पर से खरीदी से  
 जिसका नामान्तरकरण सं 1620 दिनांक 22-11-2018  
 गाम पंचायत-पनाना बुलाव सं 6 दिनांक 21-1-19  
 के द्वारा पारित आदेश के खरीज किया जाया है  
 निर्णय (आदेश) की प्राप्ति तहसीलदार चिड़ाव के प्रेषित  
 कर आदेश दिखे जाते हैं कि अपीलान्ट द्वारा पारिसे  
 रजिस्टर्ड बिक्रय पर भूमि का विधिवत नामान्तरकरण  
 राजस्व देकर ही करे। तहसीलदार चिड़ाव के  
 तहरीर जारी है। पहावली केमक सुमा देकर गभट  
 से काम की जाकर वाद तहसील जाया शकती है।

उप सुब्ब अधिकारी  
 चिड़ावा जिला सुब्बुनुं (राज.)

(The following text is extremely faint and mostly illegible, appearing to be a detailed report or a list of items related to the case.)